जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति दिनांक 23.06.2022

थाना आदर्शमण्डी

थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 23.06.22 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसके सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 26.04.2022 को थाना आदर्शमण्डी क्षेत्रान्तर्गत वादी श्री अंकित कुमार पुत्र प्रवीण निवासी ग्राम मुण्डेट कला थाना आदर्शमण्डी द्वारा अपने चाचा के साथ गाँव के ही सुभाष, सुमित व अश्वनी द्वारा गाली-गलौंच, मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर देने के सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी पर तहरीर दाखिल की थी जिस पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मेडिकल रिपोर्ट में अरविन्द को आई चोट गंभीर प्रकृति की होने पर जांचकर्ता अधिकारी द्वारा अभियुक्तों के विरूद्ध गैर इरादतन हत्या का मामला पाते हुए रिपोर्ट को अभियोग में परिवर्तित कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये गये थे।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1- सुभाष पुत्र सुखबीर निवासी मुण्डेट कला थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में जनपद की थाना बाबरी/मॉनिटरिंग सेल/अभियोजन सेल द्वारा आयुध अधिनियम के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गई 11 माह 15 दिन के कारावास की सजा , साथ ही 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया।

वर्ष 2001 में थाना बाबरी क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त असलूब पुत्र जकरा राघड निवासी बन्तीखेडा थाना बाबरी जनपद शामली को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना बाबरी पर मु0अ0सं0 173/01 धारा 25 A ACT पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना बाबरी पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें में अभियुक्त को सजा कराए जाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा जनपद की मॉनिटरिंग सेल को न्यायालय में चलाने के लिए निर्देशित किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में थाना बाबरी/ मॉनिटरिंग सेल / अभियोजन सेल द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर सजा कराने में सफलता प्राप्त की है। आज दिनांक 23.06.2022 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त असलूब उपरोक्त को सुनाई गई 11 माह 15 दिन के कारावास की सजा एवं 1000/- रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगणः-

1. असलूब पुत्र जकरा राघड निवासी बन्तीखेडा थाना बाबरी जनपद शामली।